न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
88 / 25	12.05.2025	23.06.2025

बउनवान

1. बर्फी देवी पत्नी रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. मंजु पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. मुन्नी पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. विष्णु पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. संजय पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. सुनिता पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी वकील :— श्री हरप्रीत यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि मिन वादीगण वाके ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के रहने वाले है तथा प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 651 रकबा 1.78 है0, 652 रकबा 0. 20 है०, 653 रकबा 0.04 है0, 654 रकबा 0.09 है0, 655 रकबा 1.74 है0, 656 रकबा 1.76 है०, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० में स्थित है जो आराजी उक्त वाद पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

श्रीमानजी

Scanned with OKEN Scanner

3. यह है कि उपरोक्त आराजी मुतनाजा में मिन वादीगण प्रत्येक 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार मुताबिक जमाबंदी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी की नकल संलग्न है।

4. यह है कि मिन वादीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है, मौके पर कब्जे काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त कार्य एवं अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग उपभोग कर रहे है।

5. यह है कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर हाल 651 रकबा 1.78 है0, 652 रकबा 0.20 है0, 653 रकबा 0.04 है0, 654 रकबा 0.09 है0, 655 रकबा 1. 74 है0, 656 रकबा 1.76 है०, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह० मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण का नाम दर्ज है जिनके सभी के नाम के आगे "अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा.देह भैरू पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4" के इन्द्राजात बेजा व फिजूल है। राजस्व जमाबंदीयात के अवलोकन से साफ जाहिर है कि बकाश्त के इन्द्राज बेजा आधारहीन व गैरकानूनी है, क्योंकि पूर्व इन्द्राजात में खातेदार बदलते रहे है और जो खातेदार आये वहीं बकाश्त के रूप में दर्ज हो गये इसलिए बकाश्त के इन्द्राजात बेजा एवं आधारहीन है जिनका कोई औचित्य नहीं है जिन्हे हजफ किया जाना न्याय संगत है।

6. यह है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण खातेदार के सभी के नाम के आगे "अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा.देह भैरू पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4" के इन्द्राजात बेजा व गैरकानूनी व विधि विरुद्ध होने से काबिज दुरूस्त किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे बकाश्त के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे इसलिए बाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिकी किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 651 रकबा 1.78 है0, 652 रकबा 0.20 है0, 653 रकबा 0.04 है0, 654 रकबा 0.09 है0, 655 रकबा 1. 74 है0, 656 रकबा 1.76 है0, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में मिन वादीगण खातेदारान सभी के नाम के आगे "अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा. देह भैरू पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4" को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

7. यह है कि वर्तमान इन्द्राजात रहने से खातेदारान को अपने अधिकारो के उपयोग उपभोग करने में परेशानी आती है बकाश्त के इन्द्राजात रहने से खातेदार को विकय करने, ऋण लेने में परेशानी आती है इसलिए वादीगण ने उक्त इन्द्राजात को हजफ कराने के लिए प्रतिवादी से काफी बार

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन कर लिया लेकिन राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं किया और प्रतिवादी ने दिनांक 05.05.2025 को रिकॉर्ड दुरूस्ती से साफ इंकार कर दिया इसलिए दावा हाजा करना लाजिमी आया है।

8. यह है कि दिनांक 05.05.2025 को मिन वादीगण ने प्रतिवादी को रिकॉर्ड दुरूस्त करने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने रिकॉर्ड दुरुस्ती से साफ इंकार कंर दिया बस यही तारीख विनायदावी व विनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे किः–

क – कि डिकी दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 651 रकबा 1.78 है0, 652 रकबा 0.20 है0, 653 रकबा 0.04 है0, 654 रकबा 0.09 है0, 655 रकबा 1.74 है0, 656 रकबा 1.76 है0, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० में मिन वादीगण खातेदारान सभी के नाम के आगे "अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा. देह भैरू पुत्र चुन्ना अंहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4" को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

ख– अन्य दिगर दादरसी जो करीने बनजदीक हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2076–79, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2075 पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी मे वादीगण सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। वादीगण के नाम के पिछे "अ.विव. मारफंत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा. देह भैरू पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4" दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के अनुसार काश्तकार ही आराजी का असली मालिक होता है ना कि सिकमी काश्तकार होता है। राजस्व अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा सिकमी काश्तकार को वादीगण के नाम के पिछे अमल दरामद कर दिया गया। जो गलत है। इसलिए वादीगण अपने नाम के पिछे अमल दरामद "अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र भूरिया सा. देह भैरू पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4'' को हजफ करवाने का अधिकार रखता है। वादीगण का वाद को स्वीकर कर वादी के पिछे अविव हजफ किये जाने का श्रम करे।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–1 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अनुसार किसी सिकमी/बकाश्त का कोई हक अधिकार नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर हाल 651 रकबा 1.78 है0, 652 रकबा 0.20 है0, 653 रकबा 0.04 है0, 654 रकबा 0.09 है0, 655 रकबा 1.74 है0, 656 रकबा 1.76 है0, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को खातेदार काश्तकात घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में हो रहे वादीगण के पिछे ''अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा. देह भैरू पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4'' को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
88 / 25	12.05.2025	23.06.2025

बउनवान

1. बर्फी देवी पत्नी रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. मंजु पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. मुन्नी पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. विष्णु पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. संजय पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. सुनिता पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: <u>पर्चा डिक्री</u> :–

वादी की ओर से **श्री हरप्रीत यादव एडवोकट** व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 23.06.2025** को **सुरेश कुमार बलाई उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

आराजी खसरा नम्बर हाल 651 रकबा 1.78 है0, 652 रकबा 0.20 है0, 653 रकबा 0.04 है0, 654 रकबा 0.09 है0, 655 रकबा 1.74 है0, 656 रकबा 1.76 है0, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को खातेदार काश्तकात घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में हो रहे वादीगण के पिछे "अ.विव. मारफत छाजूसिंह नवासा बोबड भज्जू महादेवा पुत्र भूरिया सा. देह भैरू

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र चुन्ना अहीर सा. जालावास 3/4 शिकमी 32 साल रामनिवास ओमप्रकाश 1/4" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner